

न्यायालय उपखंड अधिकारी प्रा०पत्र 103/2021
 पदेन सहायक कलक्टर कार्यवाही मय इनीशियल्लय जज
 करेडा (भीलवाडा) भवर सिंह vs राजस्थान राज्य

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुक्म की तामील
 में जारी हुए

021

प्राचीने एक प्रा०पत्र पैदा कर निवेदन किया कि
 श्रीमान द्वारा पत्रित निर्णय दिनांक 29/01/2021
 की पालना में कायलिय तहसीलदार करेडा परतकीड़ी
 कारणों से नामान्तरण खोलने में समस्या आनेसे
 एक से आचिक नामान्तरण की अनुमति वाली मयी
 प्रस्तुत प्रा०पत्र पर पत्रपत्नी शिगर से लख की
 जाकर फुन दर्ज कर नम्बर पर भी रहे।

प्रकरणमें उन्नमपडा उपस्थित प्राचीने प्रा०पत्र
 व तहसीलदार करेडा से प्राप्त रिपोर्ट को शा०फा०
 किया गया। उन्नमपडा की बहल सुनी गई।
 तहसीलदार करेडा द्वारा अपनी आंच रिपोर्ट के
 अनुसार संशोधित आदेश का निवेदन किया गया
 अतः तहसीलदार करेडा की रिपोर्ट के आचाद पर
 प्राचीने प्रा०पत्र को खीकर योग्य है।

संशोधित आदेश

प्राचीने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्राचीने
 की सरहद करेडा पत्रवार हल्का करेडा भीलवाडा
 स्थित आराजिमात नम्बर 4724, 4724/2, को
 आ०नं० 4724 रकबा 0.0505 हेक्टर आ०नं. 4724/4
 4724/5 को आ०नं० 4724/4 रकबा 0.0252
 हेक्टर, आ०नं० 4724/7 को आ०नं. 4724/5 रकबा
 0.0253 हेक्टर आ०नं. 4723, 4723/2, को आ०
 नं० 4723 रकबा 0.0758 हेक्टर, आ०नं. 4722/1,
 4722/2, 4722/3, को आ०नं. 4722/1 रकबा
 0.1518 हेक्टर आ० नं. 4699, 4699/2,
 को आ०नं. 4699 रकबा 0.0885 हेक्टर
 आ०नं. 4699/3, 4699/4, 4699/5 को



